महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 73वीं बैठक

दिनांक

04 सितम्बर, 2023

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 73वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 73वीं बैठक दिनांक 04.09.2023 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित उपनिषद् कक्ष मे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः-

1.	प्रो. अनिल कुमार शुक्ला, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो. ऋतु माथुर, संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन	सदस्य
3.	प्रो. सुब्रतो दत्ता, संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष-रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो-इन्फोरमेटिक्स विभाग एवं पर्यावरण अध्ययन विभाग	सदस्य
4.	प्रो. शिव प्रसाद, संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन संकाय, संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण तथा विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन विभाग	सदस्य
5.	प्रो. आशीष भट्नागर, संकायाध्यक्ष-विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग	सदस्य
6.	प्रो. एस.वी. शर्मा, संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय	सदस्य
7.	प्रो. शमा खान, संकायाध्यक्ष-कला संकाय	सदस्य
8.	डॉ. लक्ष्मीकांत शर्मा, संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय	सदस्य
9.	प्रो. शिव दयाल सिंह, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य
10.	प्रो. भारती जैन, विभागाध्यक्ष, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग	सदस्य
11.	प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग	सदस्य
12.	प्रो. अरविन्द पारीक, विभागाध्यक्ष- वनस्पतिशास्त्र विभाग	सदस्य
13.	प्रो. सुभाष चन्द्र, विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग	सदस्य
14.	मोहम्म्द इदरिश खान, प्राचार्य, स्टार इन्फोटेक कॉलेज, देवली जिला-टौंक।	सदस्य
15.	कुलसचिव	सदस्य-सचिव

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हुएः-

1.	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।	सदस्य
2.	आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ।	सदस्य
3.	डॉ. विभा शर्मा, संकायाध्यक्ष-विधि संकाय	सदस्य
4.	प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साईंस विभाग	सदस्य
5.	डॉ. अमित गुप्ता, सह-आचार्य, वनस्पतिशास्त्र विभाग, विश्वविद्यालय साईंस कॉलेज, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।	सदस्य
6.	डॉ0 सिस्टर पर्ल, प्राचार्य सोफिया कॉलेज, अजमेर ।	सदस्य

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं नवनियुक्त कुलसचिव महोदया का स्वागत किया। तत्पश्चात् माननीय कुलपति महोदय के द्वारा कुलसचिव महोदया को विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं0 01	विद्या परिषद् की 72वीं बैठक दिनांक 10.07.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (72) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2023/14677-98 दिनांक 11.07.2023 को प्रेषित की गई ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।**	
मद सं0 02	विद्या परिषद् की 71वीं बैठक दिनांक 30.06.2023 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-1)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदिन किया गया ।**	
मद सं0 03	विद्या परिषद् की 72वीं बैठक दिनांक 10.07.2023 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-2)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**विद्या परिषद् की 72वीं बैठक दिनांक 10.07.2023 को "विशेष" बैठक पढ़े जाने के प्रेक्षण के साथ उक्त अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं0 04	संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान एवं संकायाध्यक्ष-ललित कला का कार्यकाल दिनांक 22.07.2023 को समाप्त हो चुका है । अतः विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के परिनियम 2 (1) एवं 2 (2) के प्रावधानों के तहत संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान एवं संकायाध्यक्ष-ललित कला की नियुक्ति किये जाने हेतु मद विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	**शैक्षणिक-I**

निर्णय	**उक्त मद पर चर्चा के दौरान प्रो. रीटा मेहरा के द्वारा विद्या परिषद् को अवगत कराया गया कि पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार एक बार विश्वविद्यालय से तथा एक बार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में से संकायाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती रही है । अतः प्रो. मेहरा के द्वारा पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार डॉ. मंजूला मिश्रा को संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान बनाये जाने का प्रस्ताव दिया । विद्या परिषद् के सदस्यों के द्वारा विचार-विमर्श कर प्रो. रीटा मेहरा की विमति तथा शेष सदस्यों द्वारा प्रो. शिवदयालसिंह को संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान एवं सर्वसम्मति से डॉ. दुष्यन्त त्रिपाठी को संकायाध्यक्ष-ललित कला नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की गयी ।**	
मद सं0 05	विद्या परिषद् की 72वीं बैठक दिनांक 10.07.2023 के मद संख्या 02 पर नई शिक्षा नीति-2020 को सत्र 2023-24 से लागू करने के लिए तैयार किये जाने वाले पाठ्यक्रमों के निर्माण हेतु विभिन्न अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति के द्वारा की गयी अनुशंसाओं को स्वीकार करने हेतु प्रकरण विद्या परिषद् की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था । विद्या परिषद् के द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त अंक विभाजन या किसी अन्य सुझाव/समस्या के निराकरण हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गयाः- 1. प्रो. शिव प्रसाद, संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन संकाय 2. प्रो. सुब्रतो दत्ता, परीक्षा नियंत्रक उक्त समिति की बैठक क्रमशः दिनांक 08.08.2023 एवं 16.08.2023 को आयोजित हुई । समिति के उक्त कार्यवृत्त माननीय कुलपति महोदय द्वारा क्रमशः दिनांक 10.08.2023 एवं 17.08.2023 को अनुमोदित किये गये । समिति के सदस्यों के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में उक्त कार्यवृत्तों के आधार पर तैयार की गयी गाईडलाईन के आधार पर समस्त संबंधित अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति से प्रथम वर्ष (सेमेस्टर प्रथम एवं द्वितीय) के पाठ्यक्रम पुनः संशोधित कर मंगवाये गये । अतः नई शिक्षा नीति-2020 को लागू करने के क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय किया जाना हैः- 1. विद्या परिषद् की 72वीं बैठक दिनांक 10.07.2023 के निर्णय संख्या 02 पर गठित समिति के द्वारा की गयी बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 08.08.2023 एवं 16.08.2023 के आधार पर तैयार की	शैक्षणिक-I

	गयी गाईडलाइन के अनुसार प्रथम वर्ष (सेमेस्टर प्रथम एवं द्वितीय) के पाठ्यक्रम तैयार करवाये गये । अतः बैठक के कार्यवृत्त क्रमशः दिनांक 08.08.2023 एवं 16.08.2023 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-3 एवं 4)** एवं इसके आधार पर तैयार की गयी गाईडलाइन **(कार्यसूची का परिशिष्ट-5)** का अनुमोदन किये जाने पर विचार कर निर्णय करना । 2. अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति के द्वारा प्रथम वर्ष (सेमेस्टर प्रथम एवं द्वितीय) हेतु कार्यालय को उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति के अनुरूप है या नहीं, के संबंध में जांच की जाकर विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु उक्त समिति को अधिकृत किये जाने पर विचार कर निर्णय करना । 3. सत्र 2023-24 से नई शिक्षा नीति-2020 प्रथम वर्ष में लागू की जा चुकी है एवं तद्नुसार पाठ्यक्रम तैयार हो चुके है । अतः सत्र 2022-23 के प्रथम वर्ष के अतिरिक्त शेष बचे स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर के अन्य पाठ्यक्रमों को यथावत ही सत्र 2023-24 हेतु लागू करने पर विचार कर निर्णय करना । 4. प्रत्येक विषय में प्रश्न-पत्रों की संख्या का निर्धारण किये जाने पर विचार कर निर्णय करना ।	
निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-** **1. बिन्दु संख्या 01 में उल्लेखित बैठक के कार्यवृत्त क्रमशः दिनांक 08.08.2023 एवं 16.08.2023 तथा उक्त कार्यवृत्त के आधार पर तैयार की गयी गाईडलाईन दिनांक 19.08.2023 का अनुमोदन किया गया।** **2. बिन्दु संख्या 02 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में प्रो. शिव प्रसाद ने अवगत कराया कि पाठ्यक्रमों की जांच कर विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड करवाये जाने संबंधी कार्य, विद्या परिषद् की 72वीं बैठक दिनांक 10.07.2023 के मद संख्या 02 के अनुसार गठित समिति के द्वारा किया जा चुका है । अतः समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया ।**	

	3. बिन्दु संख्या 03 पर प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किया गया । **4. बिन्दु संख्या 04 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर प्रत्येक विषय में एक प्रश्न-पत्र ही रखे जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं0 06	प्रो. मनिष र. जोशी, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 1-8/2017(SWAYAM Board) 11th August, 2023/20 श्रावण, 1945 (**कार्यसूची का परिशिष्ट-6**), जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के MOOCS Course के SWAYAM प्लेटफॉर्म टाईटल "Community Engagement and Social Responsibility" (2 क्रेडिटस) को इलेक्टिव वेल्यू एडेड कोर्स के रूप में लिये जाने के संबंध में है, पर विचार कर निर्णय करना ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त कोर्स को सत्र 2025-26 के Value Added Elective Course की श्रेणी में शमिल किया जाय।**	
मद सं0 07	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग से पत्र क्रमांक प.14 (20) शिक्षा-4 पार्ट दिनांक 01.03.2023 के द्वारा विभिन्न विषयों में 06 सहायक आचार्य एवं 14 सह आचार्य के पदों की भर्ती किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जो निम्नानुसार है:-	**संस्थापन**

क्र.सं.	विषय	भरे जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा सहमत पद		
		सहायक आचार्य	सह आचार्य	आचार्य
01	History	00	01	00
02	Economics	00	01	00
03	Zoology	01	01	00
04	Botany	00	01	00
05	Environment Science	01	01	00
06	Political Science	00	01	00
07	Management Studies	00	01	00
08	Applied Chemistry	01	01	00
09	Food & Nutrition	00	01	00
10	Population Studies	00	01	00
11	Commerce	00	01	00
12	Computer Application	01	00	00
13	Microbiology	00	00	00

14	Mathematics	00	01	00
15	Geography	01	01	00
16	Sociology	01	01	00
	Total	06	14	00

माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार स्वीकृत विषयों में स्वीकृति अनुसार सहायक आचार्य एवं सह-आचार्य के पदों की भर्ती के क्रम में संबंधित प्रत्येक विषय के 40 विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय के संबंधित विषय के विभागाध्यक्षों तथा संबंधित संकाय के संकायाध्यक्षों को दिनांक 30.05.2023 को पत्र प्रेषित किये गये । उपरोक्त पत्रों के उत्तर में विभागाध्यक्षों/संकायाध्यक्षों से विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ पैनल प्राप्त हुए थे, जिन्हें विद्या परिषद् की 71वीं बैठक दिनांक 30.06.2023 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें विशेषज्ञ पैनल को लौटाते हुए विशेषज्ञ पैनल मंगवाने हेतु संशोधित दिशा-निर्देश को अनुमोदित किया गया था । प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 11.07.2023 को विद्या परिषद् के निर्णय की पुष्टि कर दी गयी । अतः प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय की पालना के क्रम में पुनः सम्बन्धित विषय के विभागाध्यक्षों तथा संकायाध्यक्षों को संशोधित पत्र प्रेषित किये गये । उपरोक्त पत्र के क्रम में विभिन्न विषयों के प्राप्त पैनल को अकादमिक परिषद् में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है **(कार्यसूची का परिशिष्ट-07)**

निर्णय

उक्त मद पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया । प्रो. रीटा मेहरा के अतिरिक्त सभी सदस्यों ने निम्नलिखित निर्णयों पर सहमति जतायी । **(Note of dissent परिशिष्ट-1):-**

1. **शिक्षक भर्ती हेतु संबंधित विषय के विभागाध्यक्षों तथा संकायाध्यक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये पैनल के सीलबंद लिफाफों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।**
2. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किये गये शैक्षिक व अनुभव संबंधी दिशा-निर्देशों एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार शिक्षक भर्ती संबंधी कार्यवाही की जाय ।**
3. **शिक्षक भर्ती हेतु तैयार की गयी विज्ञप्ति तथा आवेदन-पत्र के ले-आउट को सर्कुलेशन के माध्यम से विद्या परिषद् के समस्त सदस्यों को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाय ।**

<table>
<tr><td>मद सं0 08</td><td>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र क्रमांक D.O. No. F.2-71/2022 (CPP-II) Dated 3 July, 2023 (कार्यसूची का परिशिष्ट-08) के अनुसार सत्र 2023-24 में प्रवेश शुल्क लौटाने हेतु फीस रिफण्ड पॉलिसी जारी की गई है । संबंधित पत्र में शुल्क लौटाये जाने के संबंध में शर्तो का उल्लेख किया गया है । अतः उल्लेखित शर्तो के अनुसार फीस रिफण्ड पॉलिसी विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।</td><td>शैक्षणिक-II</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त उक्त पत्र के अनुसार सत्र 2023-24 में प्रवेश शुल्क लौटाने हेतु बनायी गयी फीस रिफण्ड पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित समिति का गठन किया गयाः-
1. प्रो. शिव प्रसाद
2. प्रो. रीटा मेहरा
उक्त समिति अपनी अनुशंसाएं माननीय कुलपति महोदय को सौपेंगी ।</td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं0 09</td><td><u>विचारार्थ बिन्दु संख्या 1 (i)</u>

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को शोध कार्य करते हुये उनके सामने अंकित दिनांक को 5 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। अध्यादेश 124.15(xi) (कार्यसूची का परिशिष्ट-09) के क्रम में शोध ग्रंथ जमा कराने हेतु अवधि विस्तार हेतु निवेदन किया था

<table>
<tr><th>क्र. स.</th><th>शोधार्थी का नाम एवं विषय एवं तत्समय प्रभावी अध्यादेश</th><th>पंजीयन दिनांक</th><th>5 वर्ष पूर्ण होने की दिनांक</th><th>कोविड–19 के कारण दी गई अवधि विस्तार की दिनांक</th><th>छः वर्ष पूर्ण होने की दिनांक</th><th>15.07.2023 को आर.जी. आर.सी. का निर्णय</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मुकेश कुमार –भूगोल Ord. of 2010</td><td>22.08.2015</td><td>21.08. 2020</td><td>20.08. 2022</td><td>21.08. 2023</td><td>चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर एक वर्ष अवधि विस्तार की अनुशंषा की गई ।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>राजल खीड़िया – इतिहास Ord. of 2010</td><td>05.08.2015</td><td>04.08. 2020</td><td>04.08. 2022</td><td>04.08. 2023</td><td>प्रसूति अवकाश पर रहने के कारण एक वर्ष अवधि विस्तार की अनुशंषा की गई ।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अर्चना जैन–एबीएसटी Ord. of 2010</td><td>19.03.2016</td><td>18.03. 2021</td><td>18.03. 2023</td><td>18.03.2024</td><td>फरवरी 2023 में पति के निधन के कारण एक वर्ष अवधि विस्तार की अनुशंषा की गई ।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>रागिनी राठौड़ –भूगोल</td><td>22.04.2015</td><td>21.04. 2020</td><td>20.04. 2022</td><td>21.04.2023</td><td>शोध पर्यवेक्षक का स्थानान्तरण क्षेंत्राधिकार से बाहर</td></tr>
</table>
</td><td>शोध अनुभाग</td></tr>
</table>

	Ord. of 2010					होने के कारण एक वर्ष अवधि विस्तार की अनुशंषा की गई ।
5	प्रवीण महलावत – भूगोल Ord. of 2010	22.04.2015	21.04. 2020	20.04. 2022	21.04. 2023	शोध पर्यवेक्षक का स्थानान्तरण क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण एक वर्ष अवधि विस्तार की अनुशंषा की गई ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोविड़-19 महामारी के कारण शोधार्थियों को अवधि में विस्तार दिए जाने के सम्बंध में जारी समस्त निर्देशों की अनुपालना में म.द.स.विश्वविद्यालय के शोध अनुभाग द्वारा समय समय पर शोध अवधि विस्तार से सम्बन्धित कार्यालय आदेश माननीय कुलपति महोदय को प्रदत्त 19(18) की शक्तियों के तहत जारी किए गए थे। उक्त आदेशों को समय समय पर विद्या परिषद एवं प्रबंध बोर्ड द्वारा भी अनुमोदन किया जा चुका है। आर.जी.आर.सी. का उपर्युक्त पॉच प्रकरणों पर लिया गया निर्णय माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-10)**

<u>विचारार्थ बिन्दु संख्या 1 (ii)</u>

निम्नलिखित शोधार्थियों को शोध कार्य करते हुये उनके सामने अंकित दिनांक को 5 वर्ष पूर्ण हो चुके है। अध्यादेश 124.13;क) के क्रम में शोधार्थियों द्वारा शोध ग्रंथ जमा कराने हेतु अवधि विस्तार हेतु निवेदन किया है:-

क्र. स.	शोधार्थी का नाम एवं विषय	पंजीयन दिनांक	3 वर्ष पूर्ण होने की दिनांक	एक वर्ष (चतुर्थ वर्ष) की अवधि विस्तार की दिनांक	कोविड–19 के कारण दी गई अवधि विस्तार की दिनांक	एक वर्ष (पंचम वर्ष) की अवधि विस्तार की दिनांक
1	नाथूराम हिंगोनिया –हिन्दी	22.07. 2016	21.07.2019	21.07.2020	21.07. 2022	21.07.2023
2	मंजू सामरिया–अर्थशास्त्र	19.07. 2016	18.07.2019	18.07.2020	18.07. 2022	23

उक्त दोनों प्रकरण अध्यादेश 124:13(D) के तहत माननीय कुलपति महोदय के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत कियें गये ।

बिन्दु संख्या 1 (ii) से सम्बन्धित 2015 का शोध अध्यादेश 124:13(D) निम्नानुसार है : After completion of five years, the period shall not be extended except in exceptional circumstances where an extension of maximum of one year may be permitted by the Vice

	Chancellor on the recommendation of the supervisor routed through the Head of the University teaching Department/Principal of the PG affiliated college concerned. In case of grant of the last extension, the candidate is required to deposit a fee of Rs.12,000/- for the sixth year. अध्यादेश की प्रति पर संलग्न है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-11)** अध्यादेश 124:13(D) के प्रावधानान्तर्गत उपर्युक्त दो प्रकरणों में शोध अवधि में एक वर्ष का विस्तार माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है। ऐसे लगभग 100 अन्य समान प्रकरण (शोधार्थियों को एक वर्ष की अवधि विस्तार के प्रकरण) शोध अनुभाग में शोधार्थियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है। अतः बिन्दु संख्या 1 (i) एवं बिन्दु संख्या 1 (ii) विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**शोध अध्यादेश 124:13(D) के अनुसार शोधार्थियों द्वारा शोध ग्रंथ जमा कराने हेतु पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष की अवधि निर्धारित है तथा इस अवधि के अतिरिक्त एक वर्ष की अवधि का विस्तार माननीय कुलपति महोदय के द्वारा उक्त अध्यादेश में अंकित प्रक्रियानुसार किया जा सकता है । चूंकि इन शोधार्थियों के द्वारा शोध ग्रंथ जमा कराने की अवधि के दौरान ढ़ाई वर्ष की कोरोना संक्रमण काल की अवधि रही । अतः इन शोधार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इनके पंजीकरण की तिथि से कुल साढ़े आठ वर्ष की अवधि के भीतर इनके द्वारा शोध ग्रंथ जमा कराये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं0 10	1. In compliance of the decision of 69th Academic Council held on September 30, 2022, decision No. 5 (3) and 20, Maharshi Dayanand Saraswati University got the approval of Pharmacy Council of India (PCI), New delhi for Academic session 2023-24, for 60 seats each in D.Pharma and B. Pharma programs. **(Decision letter is enclosed herewith Annexure-12)** 2. It is proposed to establish a new Department of Pharmacy to offer these course on the University campus or under any existing stream. 3. It is proposed to accept Eligibility, Syllabi and Exam Scheme for both the programs i.e. B.Pharma and D.Pharma provided by PCI for this purpose. 4. It is proposed to accept admissions in these programs on merit basis.	प्रो. अरविन्द पारीक

निर्णय	उक्त मद पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया । प्रो. रीटा मेहरा के अतिरिक्त सभी सदस्यों ने निम्नलिखित निर्णयों पर सहमति जतायी । (**Note of dissent** परिशिष्ट-2):- 1. बी.फार्मा एवं डी.फार्मा कोर्स को विज्ञान संकाय के अधीन संचालित किया जाय । 2. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर की तर्ज पर प्रवेश संबंधी प्रक्रिया अपनायी जाय । 3. उक्त कोर्स को स्ववित्त पोषित स्कीम में संचालित किया जाय ।	
मद सं0 11	उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्णय भी लिया गयाः- 1. प्रो. सुब्रतो दत्ता ने अवगत कराया कि विद्या परिषद् की 71वीं बैठक दिनांक 30.06.2023 के निर्णय संख्या 18 (1) पर निर्णय लिया गया था कि सत्र 2023-24 से नई शिक्षा नीति-2020 के अनुसार सैमेस्टर सिस्टम लागू होने के कारण स्वयंपाठी विद्यार्थियों की परीक्षाएं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुरूप करायी जायेंगी परन्तु स्वयंपाठी विद्यार्थियों के संबंध में अभी तक राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है । अतः स्वयंपाठी विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर ही कराये जाने का निर्णय लिया गया । स्वयंपाठी विद्यार्थियों की परीक्षा 70 अंक के आधार पर होंगी जिसे 100 अंक के आनुपातिक रूप में परिवर्तित कर लिया जाय ।	परीक्षा नियंत्रक

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

कुलपति

कुलसचिव

Terms and Conditions:

1. The Certificates or documents in support of experience should be in proper format i.e. it should be on organization's letter head, bear the date of issue, indicate specific period of work, name and designation, pay level with basic pay / if in previous scale pay band with basic salary and AGP etc. issued by the employer, failing which the same will not be considered. Applications with consolidated / fixed salary will not be considered for calculating the teaching experience. A certified copy of all the appointment orders with joining and relieving report of every employer should be annexed.
2. The list of eligible and ineligible candidates will be published on website after scrutiny of the applications.
3. The Academic /Research score calculated in the application form is only indicative of the applicant's eligibility and it shall be confirmed following scrutiny of the applications. The automatically generated score will not be treated as final. The eligibility and non-eligibilty of the candidate will be determined by the Scrutiny Committee.
4. The Academic Score as specified in Table 3A for universities shall be considered for short-listing of the candidates for interview only, and the selection shall be based on the performance in the interview. There shall be no written test for screening as the UGC Regulations do not prescribe for written test.
5. In case of any wrong information or misrepresentation of facts or non disclosure of facts in application is made by the applicant or inadvertent error detected in the process of selection,- at any stage in the process of selection, or even after the issuance of appointment order and joining, the University reserves the right to withdraw / cancel appointment order and take other legal action as deemed fit.
6. As per the reservation policy of the Govt. of Rajasthan , such applicants who are not domicile of Rajasthan state and belong to reserve category shall be considered in unreserved category.
7. Interviews will be held if minimum three eligible candidates are present for interview.
8. Married female candidate will have to submit the caste (SC/ST/Backward Class) certificate issued on the basis of her father's name , place of residence and income to get the benefit of reserved category. Caste certificate issued on the basis of husband's name , place of residence and income will not be valid.
9. The hard copy of the application be sent in closed envelope on which Advertisement Number and Name of the Post Applied For should be written.
10. The Application Form should have such an undertaking such as described in Point No.5 in application form duly signed by the Applicant. Application Form should also get the details of criminal charges and disciplinary action taken or pending against him.

The above terms & conditions be please incorporated

4.9.2023

परिशिष्ट -2

Note of Dissent on Agenda Item No. 10

I submit my dissent on agenda item No. 10 on the following grounds:

1. There is no permission of the Government annexed with the agenda. No Department can be started to run regular course without the permission of State Government because starting a new department and new courses under its auspices would require commitment of additional expenditure and also creation of new posts and also appointments on urgent temporary/ permanent basis, as the case may be. These actions require permission from State Government under Section 36(A) of the MDS University Act and RAPSAR Act under its several sections. **Violation of provision has been** declared as an offence under **RAPSAR Act in** its "**Section 14 Offences and punishments.**--*(1) Any person or authority who contravenes the provisions of this Act shall, apart from the penalities otherwise provided for, on conviction by a competent court having jurisdiction be punishable with imprisonment for a term which shall no case be less than six months and which may extend upto two years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend upto ten thousand rupees."*

As a member of the Authority named Academic Council, I cannot take the risk and hence I dissent on this decision.

2.There is no Board of Studies in the university for this subject because there is not a single subject expert of the said course in the teaching departments of MDS university Ajmer and/or in its affiliated Government colleges .Therefore in absence of Board of Studies constituted of Convener and Members of the subject of Pharmacy, the recommendation for examiners for external examination is not possible. Likewise , continuous internal assessment is also not possible in absence of teachers of the subject appointed/ hired for teaching. Hence , it would not be proper justification with the students if admitted to the two courses.

3.The Faculty of Pharmacy under which D. Pharma and B. Pharma courses are run is a Faculty under Rajasthan University of Health Sciences and which is non-existent in the Ordinance of MDS University Ajmer. Hence, it should not be thought as proper to start these courses in MDSU.

4.In view of no prior permission of the State Government for creation of the department and its running as required under (i) MDSU Act (Section 36A) and (ii) RAPSAR Act (Section 4,5)etc. and imprisonment , penalty prescribed under Section 14, and in view of Faculty of Pharmacy not prescribed in the Ordinance of the university to which these courses (Degree Course of B.Pharma and Diploma Course of D.Pharma) can be allotted and hence in absence of subject experts in MDS University Ajmer and its colleges for constitution of Board of Studies in the subject, teaching and examination would not be justified and proper , so I strongly dissent to decision on Agenda Item No.10 .

4.9.23